

क्रमांक 333/2/भूअ./सामान्य/फाईल क्र-10/2019
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 29/11/2020

प्रति,


1. मुख्य अभियंता (समस्त),
जल संसाधन विभाग, (म.प्र.)
2. परियोजना संचालक (समस्त),
जल संसाधन विभाग, (म.प्र.)

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण जिनमें मान. उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी है उन्हें निर्धारित समयावधि की भीतर शासन को भेजा जाना सुनिश्चित करने के संबंध में।

—000000—

उपरोक्त विषयांतर्गत अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय से प्राप्त नोटशीट (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त नोटशीट के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को जिन भू-अर्जन प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी है उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर शासन को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

कृपया अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग की संलग्न नोटशीट पर अंकित टीप अनुसार भू-अर्जन प्रकरणों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ मण्डल एवं संभागीय कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार



कार्यपालन यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्रमांक- 333/2/भूअ./सामान्य/फा.क्र-10/2019
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29/11/2020

1. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल/समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, म.प्र. की ओर विभागीय पोर्टल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


कार्यपालन यंत्री (वृहद)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

473
11/11

14
महत्त्व पूर्ण

विषय: भूअर्जन प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी है उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर शासन को भेजा जाना सुनिश्चित करने के संबंध में।

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं हेतु भू अर्जन के रिफरेंस प्रकरणों में जो आदेश जिला न्यायालयों द्वारा पारित किये जा रहे हैं एवं जिनमें शासकीय अभिभाषक के अभिमत अनुसार मा. उच्च न्यायालय में अपील की जानी है उनमें अनुमति हेतु जो प्रकरण प्रेषित किये जा रहे हैं उनमें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है। अतएव कृपया विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि जिन भूअर्जन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी है उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर शासन को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(एस.एन.मिश्रा)

अपर मुख्य सचिव

09.11.2020

उप सचिव (तकनीकी)

प्रमुख अभियंता

09 NOV 2020

(I.S.)		S.E. (A)
E-(N.M.)		C.P.O.
E.(P)		E.E. (V)
E.(Major)		E.E. (B)
E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

333

Mms
9/11/20

333, 322, 344

अधीक्षण यंत्रि (वृहद)

56
दिनांक 09/11/2020